



# आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

ई-निविदा सूचना संख्या : 11 / 2025--26.

ई-निविदा सूचना

दिनांक : 31/07/2025

निम्नलिखित कार्यो हेतु आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों से निविदाये आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू धनराशि (रु. लाख में)	घरोहर धनराशि (रु. में)	निविदा मूल्य (रु. में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	निविदा का प्रकार	अभियन्त्रण खण्ड
1.	आगरा इनर रिंग रोड फेस-2 में मार्ग के दोनों तरफ ट्रक लेन माई का निर्माण/विकास कार्य।	857.81	17.16.000/-	5900/-	10 माह	एन- (पेवर प्लान्ट धारक)	टू-बिड	इनर रिंग रोड
2.	यातायात नगर योजना के सेक्टर-3 में आर.सी.सी. नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य।	459.58	9.20.000/-	5900/-	09 माह	ए	टू-बिड	05

- कम संख्या-01 पर अंकित कार्य की अति अल्पकालीन ई-निविदाये दिनांक 12.08.2025 को आमंत्रित है, जो उसी दिवस अपराह्न 02:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.08.2025 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 12.08.2025 के अपराह्न 01:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- कम संख्या-2 पर अंकित कार्य की ई-निविदा दिनांक 03.09.2025 को आमंत्रित है, जो उसी दिवस अपराह्न 02:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.08.2025 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 03.09.2025 के अपराह्न 01:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं निर्धारित घरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से नियत तिथि व समय से पूर्व खाता संख्या-628701024409, IFSC Code-ICIC0001050 ICICI Bank Ltd, 5, Saket Colony, Shahganj, Nh11, Agra-282010 में जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसके सूटी.आर. नंबर का विवरण निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता कार्य स्थल निरीक्षण कर सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन एवं समस्त शर्तों का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से अवश्य कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा, साथ ही सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- बी.ओ.क्यू लागत रु. 2.00 करोड़ तक के कार्यो हेतु केवल प्राधिकरण में पंजीकृत फर्म द्वारा ही निविदा में भाग लिया जायेगा। बी.ओ.क्यू लागत रु. 2.00 करोड़ से ऊपर एवं विशिष्ट कार्यो हेतु सम्बन्धित अनुगवी फर्म जो शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत है, निविदा में भाग ले सकती है। फर्म द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, किन्तु शर्त यह होगी कि चयनित निविदादाता को आगरा विकास प्राधिकरण में सम्बन्धित श्रेणी में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-692/23-07-2024, दिनांक 09 अगस्त, 2024 में निर्धारित अतिरिक्त परफॉरमेंस बैंक गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
- निविदादाता को नियमानुसार आयकर विभाग, श्रम विभाग, जी.एस.टी. विभाग एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग एवं आगरा विकास प्राधिकरण की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- जिन कार्यो की ई-निविदाये डबल बिड सिस्टम के अन्तर्गत आमंत्रित है, उनकी तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- निविदादाता द्वारा फर्म का बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम व आई.एफ.एस.सी. कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, जिससे असफल निविदादाताओं की जमा घरोहर धनराशि फर्म के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा सके।
- निविदादाता द्वारा निविदा के साथ रु. 100/- का ई-स्टाम्प पेपर नोटरी सहित अपलोड करना होगा।
- निविदादाता कंपनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कंपनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई भी निकटतम सम्बन्धी आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है।
- टू-बिड पद्धति पर आमंत्रित निविदाओं के कार्यो में समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
- लॉट गिव्स प्लान्ट के कार्यो में लॉट गिव्स स्वामी/अनुबन्ध के आधार पर ही निविदादाता निविदा में भाग ले सकता है, परन्तु आ.वि.पा. उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं एन.एच.ए.आई. में लॉट गिव्स प्लान्ट में पंजीकृत ठेकेदार (जिसके पास वांछित टेंडर्स व प्लान्ट्स हो) से ही सब रजिस्ट्रार कार्यालय से अनुबन्ध/लीज पंजीकृत कराते हुये अनुबन्ध/लीज व गरीबरी के ऑनरशिप के प्रपत्र भी निविदा के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक होंगे, (लोक निर्माण विभाग उ.प्र. के पत्र संख्या-795/वीवीडी-1 (एन.एच)/40एम.टी-11/2020 के अनुसार निर्धारित आयु के अन्तर्गत), अन्यथा प्राप्त निविदा अर्ह नहीं होगी। निविदा में Lessor एवं Lessee में से एक पक्ष द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा। लीज की अवधि/कार्य अन्य को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यह प्राविधान रु. 200.00 लाख तक की लागत की निविदाओं पर ही लागू होंगे। उपरोक्त से अधिक के कार्य पर स्वामित्व होना अनिवार्य है, साथ ही पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की अनापत्ति प्रमाणपत्र की छायाप्रति निविदादाता को निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- यदि कोई ठेकेदार/एजेन्सी किसी भी विभाग में विगत 05 वर्षों में काली सूची में दर्ज अथवा निविदाओं में प्रतिभाग से डिबार की गयी हो, उसके द्वारा प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग नहीं किया जायेगा, निविदाता को इस आशय का शपथ-पत्र भी अपलोड करना होगा।
- ई-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

पत्रांक : 23/सी/सीई/2025--26. दिनांक :

प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- सचिव महोदय को सूचनाार्थ।
- वित्त निष्पत्र को सूचनाार्थ।
- प्रमार्स आई.टी.सेल को प्राधिकरण वेबसाइट एवं ई-टेंडरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को कार्य की बी.ओ.क्यू एवं अन्य प्रपत्र समानार्थगत ई-टेंडरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता